भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1216

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

विशेष किशोर पुलिस इकाइयां

1216. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी सांविधिक निकाय, समिति/आयोग ने देश के प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसजेपीयू) के गठन की सिफारिश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एसजेपीयू का गठन किया गया है, यदि हां, तो अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने एसजेपीयू बनाए गए हैं; और

(ग) क्या कुछ जिलों में एसजेपीयू का गठन अभी तक किया जाना बाकी है, यदि हां, तो ऐसे जिलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संचालन के लिए नोडल मंत्रालय है, जो देश में बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण का प्राथमिक कानून है। यह अधिनियम संकटग्रस्त परिस्थितियों में बच्चों के व्यापक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख सहित सेवा प्रदायगी संरचनाओं का एक सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 107 के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) गठित करने का आदेश दिया गया है, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक के पद से कम रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित किया जाना चाहिए। जिसका रैंक सहायक उपनिरीक्षक से कम न हो।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर संरक्षण इकाई (एसजेपीयू) स्थापित करने की एडवाइजरी जारी की है। जिलों में स्थापित विशेष किशोर संरक्षण इकाइयों (एसजेपीयू) का आंकड़ा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

****